पत्र संख्या : : 7ब/4701 यो०ज०सं०–19/2018 174
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर/मेदिनीनगर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांकः 15/02/19

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष–70–ई गवर्नेंस, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड–49S470180052700759 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष **2018–19** में निधि का आवंटन।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–36/18–19, दिनांक–06.11.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2018–19** में बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	कुल आवंटन (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/80–सामान्य	052–मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष–70–ई गवर्नेंस	07–अन्य व्यय 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड–49S470180052700759	**9.93**

आवंटित राशि – ₹ नौ लाख तिरानबे हजार मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष **2018–19** के संशोधित बजट उपबंध राशि **रू॰ 40.00 लाख (चालीस लाख)** मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1363 दि॰ 09.05.2016 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

14/02/19

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–1

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च, 2019 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : **आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है।** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट **(http://www.wrdjharkhand.nic.in)** पर भी उपलब्ध है।

अनु॰–यथोक्त्

(अरूण कुमार सिंह) 14.2.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 174 रॉची, दिनांक :– 15/02/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर/मेदिनीनगर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(अरूण कुमार सिंह) 14.2.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 174 राँची, दिनांक :– 15/02/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(रमेश कुमार दूबे) 14/02/19 विशेष सचिव	(हेमन्त कुमार) अभियंता प्रमुख–1	**(अरूण कुमार सिंह)** 14.2.19 **अपर मुख्य सचिव**

विभागीय पत्रांक......174...... दिनांक ......15/02/19 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1

माँग संख्या–49–जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष–052–मशीनरी तथा उपस्कर,
उप शीर्ष–उप शीर्ष–70–ई गवर्नेंस,
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड– 49S470180052700759

वित्तीय वर्ष 2018–19 में संशोधित बजट उपबंध 40.00 लाख (चालीस लाख) मात्र। **(राशि लाख ₹ में)**

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन			Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आयोजन एवं मोनि0 प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR007)	मेदिनीनगर	E-Governance के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु Computer उपकरण, प्रिन्टर स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु।	36/18–19 प्र॰ स्वी॰, राँची, दिनांक: 06.11.2018 Online AA-1498/06.11.18	56.10	0.00	9.99500	5.14500	15.14000	**92424**	आवंटित राशि का व्यय परिशिष्ट–2 में वर्णित कार्यों हेतु।
2	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF59)	देवघर				0.00	0.00000	4.78500	4.78500	**92426**	
						योग	**9.99500**	**9.93000**	**19.92500**		

आवंटित राशि – ₹ नौ लाख तिरानबे हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे) 14/02/19
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–1

(अरूण कुमार सिंह) 14.2.19
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक :– 174 दिनांक 15/02/19 का अनुलग्नक परिशिष्ट – 2

विपत्र कोर्ड – 49S470180052700759

क्र॰	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	अधिष्ठापन का स्थान	संख्या	वर्त्तमान आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6		8
1	आयोजन एवं मॉनि० प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR007)	E-Governance के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु Computer उपकरण, प्रिन्टर स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु।	Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	अधीक्षण अभियंता, कदवन बाँध अंचल, गढ़वा शिविर मेदिनीनगर	1	54000	
			UPS - 600 VA		1	2500	
			Laser Printer (HP 1020)		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V39)		1	4000	
			HP Officejet Pro 6230 Colour Inkjet Printer		1	7000	
			RICOH MP 2501 SP (25PPM, Duplex, Printer, Sacn, Copier) with CVT & Trolley		1	167500	
					Sub Total	**248500**	
			Laser Printer (HP 1020)	अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा	1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V39)		1	4000	
					Sub Total	**17500**	
			Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल, पलामू	1	54000	
			UPS - 600 VA		1	2500	
			Laser Printer (HP 1020)		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V39)		1	4000	
			HP Officejet Pro 6230 Colour Inkjet Printer		1	7000	
			RICOH MP 2501 SP (25PPM, Duplex, Printer, Sacn, Copier) with CVT & Trolley		1	167500	
					Sub Total	**248500**	
					Total	**514500**	
2	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF59)	E-Governance के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु Computer उपकरण, प्रिन्टर स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु।	Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा	2	108000	
			UPS - 600 VA		2	5000	
			Laser Printer (HP 1020)		2	27000	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V39)		2	8000	
					Sub Total	**148000**	
			Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	1	54000	
			UPS - 600 VA		1	2500	
			Laser Printer (HP 1020)		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V39)		1	4000	
					Sub Total	**74000**	
			Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	1	54000	
			UPS - 600 VA		1	2500	
			Laser Printer (HP 1020)		1	13500	
			Scanner (EPSON Flatbed Scanner V39)		1	4000	
			Computer Table with Chair		1	15000	
			RICOH MP 2501 SP (25PPM, Duplex, Printer, Sacn, Copier) with CVT & Trolley		1	167500	
					Sub Total	**256500**	
					Total	**478500**	
					G. Total	**993000**	

आवंटित राशि – ₹ नौ लाख तिरानबे हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–1

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव